(b) the difference in figures between 31st December, 1986 and 31st December, 1996, according to Government evaluation;

(c) the total number of cases registered for illegal hunting of lions, so far, and action taken on the registered complaints; and

(d) the measures taken for breeding and increasing the number of lions in Gir forests?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) Although the population of lions in the Gir forests of Gujarat has been estimated since 1936, six censuses have been conducted after declaration of the Gir Sanctuary during the years 1968, 1974, 1979, 1985, 1990 and 1995.

(b) No census was conducted in December, 1986 and December, 1996. However, the population of lions was estimated at 239 in May 1985 and 304 in May 1995, showing an increase of 65 lions during this period.

(c) According to the State Govt. of Gujarat 30 cases of lion poaching have been registered since 1981-82, all of which were investigated and either departmental or court proceedings were carried out.

(d) An area of 1412.12 sq. km. of the Gir forest which is the habitat of lions, has been constituted into a protected area, comprising 1153.41 sq. km. notified as a sanctuary and 258.41 sq. km. notified as a national park under the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972. The Asiatic Lion is fully protected against hunting and commercial exploitation. Habitat protection and management activities are also undertaken such as habitat improvement, water conservation, wildlife health monitoring etc. Under in situ condition, breeding takes place if favourable conditions are available to the lions. No artificial breeding programme is necessary. As a result of these measures, the population of Asiatic Lions has gradually increased from 177 in 1968 to 304 in 1995.

Inclusion of Udaipur Lake under NLCP

2148. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have selected Udaipur Lake under the National Lake Conservation Plan; if so, the main objectives of this project;

(b) whether any feasibility response has been prepared/discussed between the State Experts Committee and officials of the Ministry of Environment, so far; and

(c) if so, the present stage of this project and the likely cost involved therein and agreed to be shared by Government?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) Yes, Sir. The objectives of the proposed national lake Conservation Plan are:

(i) Prevention of pollution from point and non-point sources.

(ii) Catchment area treatment.

(iii) R&D studies on floral and faunal activities and related ecological aspects.

(iv) Other activities depending on the lake specific conditions such as integrated development approach including interface with human populations.

(b) and (c) Discussions on pre-feasibility reports have been held between the State Government and officials of Ministry of Environment and Forests. The total cost of the project proposal was about Rs. 111 crores to be shared between the Central and the State Government on 50:50 basis.

"महानगरों में वायु-प्रदूषक तत्वों की अनुज्ञेय सीमा"

2149. **श्री पराग चालिहा:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगरों में विभिन्न वायु-प्रदूषक तत्वों तथा कार्बन मोनोक्साइड इत्यादि की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा क्या है;

(ख) इन वायु-प्रदूषक तत्वों इत्यादि की वर्तमान वास्तविक सीमा क्या है और यह अधिकतम अनुज्ञेय सीमा से कितनी अधिक है;

(ग) देश में "रियो सम्मेलन" की कार्य-सूची-21 की सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है;

(घ) वायु और ध्वनि प्रदूषक तत्व के निकलने से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) इस समस्या पर काबू पाने संबंधी प्रस्तावों तथा विदेशी अभिकरणों से मांगे गए सहयोग का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) कार्बन-मोनोक्साइड सहित विभिन्न वायु प्रदूषकों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) दस महानगरों में वायु गुणवत्ता स्तरों के मॉनीटरन से यह पता चलता है कि दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई में पाये गए निलम्बित कणिकीय पदार्थ (एस०पी०एम०) का स्तर निर्धारित सीमा से ज्यादा है, लेकिन सल्फर-डाईआक्साइड, नाइट्रोजन-आक्साइड के स्तर उचित सीमा में हैं।

(ग) इस संबंध में रियो शिखर सम्मेलन की कार्यसूची 21 में की गई सिफारिशों को देश में लागू किया जा रहा है। कार्यसूची 21 के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन हुआ है।

(घ) पर्यावरणीय प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के बीच सीधा संबंध है यह निश्चित रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। तथापि, यदि प्रदूषकों का स्तर उचित सीमा से ज्यादा हो तो उसमें लम्बे समय तक रहने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे श्वसनतंत्र में गड़बड़ी, हृदयवाहिका तंत्र रोग, श्रवण-क्षति, आदि।

(ङ) प्रदूषण नियंत्रण और निवारण कार्यक्रमों के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों/देशों, जैसे विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डेनमार्क, जर्मनी, नार्वे और जापान से सहयोग प्राप्त हुआ है।

विवरण

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक

प्रदूषक	समय भारित औसत	परिवेशी वायु में सकेंद्रण ***		
		औद्योगिक क्षेत्र	आवासीय ग्रामीण और अन्य क्षेत्र	संवेदनशील क्षेत्र
सल्फर डाइआक्साइड	वार्षिक औसत	80	60	15
(SO_2)	24 घण्टे	120	80	30
नाइट्रोजन आक्साइड	वार्षिक औसत	80	60	15
NO_2 के रूप में	24 घण्टे	120	80	30
निलम्बित कणिकीय	वार्षिक औसत	360	140	70
पदार्थ	24 घण्टे	500	200	100
अन्तःश्वसनीय कणिकीय पदार्थ	वार्षिक औसत	120	60	50
(10 यू०एम० से कम आकार)	24 घण्टे	150	100	75
सीसा	वार्षिक औसत	1.0	0.75	0.50
	24 घण्टे	1.5	1.00	0.75
कार्बन मोनोक्साइड	8 घण्टे	5.0	2.0	1.0
	1 घण्टा	10.0	4.0	2.0

टिप्पणी:

*सप्ताह में दो बार 24 घण्टे के समान स्तर पर लिए गए वर्ष में कम से कम 104 मापों का वार्षिक औसत गणितीय माध्य।

**एक वर्ष में 98 प्रतिशत समय में हर 24 घण्टे/8 घण्टे के परिमाणों को पूरा किया जाएगा। समय का 2 प्रतिशत, यह ज्यादा भी हो सकता है, पर लगातार दो दिन नहीं।

***सभी मान माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर में है, सिर्फ कार्बन मोनोक्साइड को छोड़कर, जो मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर में है।